



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072021-228656
CG-DL-E-31072021-228656

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2806]
No. 2806]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SRAVANA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

का.आ. 3028(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु रारा-216 पर नरसापुरम शहर के लिए बाईपास सड़क के निर्माण के लिए रारा-214 (नया रारा-216) के कि.मी. 126 से शुरू एसएच -100 पर मलकीपुरम गांव तक ग्रीनफील्ड से गुजरने वाले चिनचिनाडा पुल के पास, मल्कीपुरम पर 2 किमी लंबाई के लिए एसएच -100 का अनुसरण करना और फिर से वसिष्ठ गोदावरी नदी के पार ब्रिज के प्रावधान के साथ ग्रीनफील्ड के माध्यम से पीछे हटना (बांध के सिंचाई शृंखला 86 के उपर) पेडलंका गाँव, रमन्नापलेम गाँव ग्रीनफील्ड क्षेत्र के जुड़ाव और आंध्र प्रदेश राज्य में 23.200 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए मौजूदा रारा-216 के एल एच एस (तटीय पक्ष) पर टोल प्लाजा से पहले रारा-214ए (नया रारा-216) के 10.8 किमी पर समाप्ति हेतु वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब-कलेक्टर अमलापुरम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक

पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु रारा-216 पर नरसापुरम शहर के लिए बाईपास सड़क के निर्माण के लिए रारा-214 (नया रारा-216) के कि.मी. 126 से शुरू एसएच -100 पर मलकीपुरम गांव तक ग्रीनफील्ड से गुजरने वाले चिनचिनाडा पुल के पास, मलकीपुरम पर 2 किमी लंबाई के लिए एसएच -100 का अनुसरण करना और फिर से वसिष्ठ गोदावरी नदी के पार ब्रिज के प्रावधान के साथ ग्रीनफील्ड के माध्यम से पीछे हटना (बांध के सिंचाई श्रृंखला 86 के उपर) पेडलंका गाँव, रमन्नापलेम गाँव ग्रीनफील्ड क्षेत्र के जुड़ाव और आंध्र प्रदेश राज्य में 23.200 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए मौजूदा रारा-216 के एल एच एस (तटीय पक्ष) पर टोल प्लाजा से पहले रारा-214ए (नया रारा-216) के 10.8 कि.मी. पर समाप्त होने वाले भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: ईस्ट गोदावरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मलिकिपुरम					
गांव का नाम: रामाराजूलंका					
1	211	सरकारी	ड्रेनेज स्ट्रीम	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000
2	213	निजी	एग्रीकल्चर	0.2410000(हेक्टेयर)	0.2410000
3	216	निजी	एग्रीकल्चर	0.1480000(हेक्टेयर)	0.1480000
4	217	निजी	एग्रीकल्चर	0.3630000(हेक्टेयर)	0.3630000
5	218	सरकारी	ड्रेनेज स्ट्रीम	0.0520000(हेक्टेयर)	0.0520000
6	220	निजी	एग्रीकल्चर	0.1970000(हेक्टेयर)	0.1970000
7	221	निजी	एग्रीकल्चर	0.4720000(हेक्टेयर)	0.4720000
8	227	निजी	एग्रीकल्चर	0.6280000(हेक्टेयर)	0.6280000
9	228	सरकारी	ड्रेनेज स्ट्रीम	0.1180000(हेक्टेयर)	0.1180000
10	229	सरकारी	ड्रेनेज स्ट्रीम	0.0690000(हेक्टेयर)	0.0690000
कुल				2.2940	2.2940

[फा. सं. RO/VJA/AnnualPlan2020-21Pt-2/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 3028(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction of bypass road to Narsapuram town on NH-216 starting from Km.126 of NH-214 (New NH-216) near approach of Chinchinada bridge passing through Greenfield up to Malkipuram Village on SH-100, following SH-100 for 2km. length on Malkipuram and again traversing through Greenfield with provision of Bridge across river Vasista Godavari (Sitting at Irrigation chainage 86 of bund) connecting Pedalanka Village, Ramannapalem Village Greenfield area and ending at Km. 10.8 of NH-214A (New NH-216) before toll plaza on LHS (Coastal side) of existing NH-216 for total length of 23.200 Km. in the state of Andhra Pradesh maintenance, management and operation in the District of East Godavari in the State of ANDHRA PRADESH.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Collector Amalapuram in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land for construction of bypass road to Narsapuram town on NH-216 starting from Km.126 of NH-214 (New NH-216) near approach of Chinchinada bridge passing through Greenfield up to Malkipuram Village on SH-100, following SH-100 for 2km. length on Malkipuram and again traversing through Greenfield with provision of Bridge across river Vasista Godavari (Sitting at Irrigation chainage 86 of bund) connecting Pedalanka Village, Ramannapalem Village Greenfield area and ending at Km. 10.8 of NH-214A (New NH-216) before toll plaza on LHS (Coastal side) of existing NH-216 for total length of 23.200 Km. in the state of Andhra Pradesh maintenance, management and operation in the District of East Godavari in the State of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: EAST GODAVARI		
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Malikipuram					
Village: Ramarajulanka					
1	211	Government	Drainage Stream	0.0060000(Hectare)	0.0060000
2	213	Private	Agriculture	0.2410000(Hectare)	0.2410000
3	216	Private	Agriculture	0.1480000(Hectare)	0.1480000
4	217	Private	Agriculture	0.3630000(Hectare)	0.3630000
5	218	Government	Drainage Stream	0.0520000(Hectare)	0.0520000
6	220	Private	Agriculture	0.1970000(Hectare)	0.1970000

7	221	Private	Agriculture	0.4720000(Hectare)	0.4720000
8	227	Private	Agriculture	0.6280000(Hectare)	0.6280000
9	228	Government	Drainage Stream	0.1180000(Hectare)	0.1180000
10	229	Government	Drainage Stream	0.0690000(Hectare)	0.0690000
Total				2.2940	2.2940

[F. No. RO/VJA/AnnualPlan2020-21Pt-2/3A]

RAJESH GUPTA, Director